न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
132/2023

दायर दिनांक
04.04.2023

निर्णय दिनांक
26.10.2023

उनवान

1. श्री हरिश कुमार पुत्र वासुदेव केलवानी निवासी वाटर टेंक के सामने, सिन्धुनगर भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री उधवदास पुत्र हीरानन्द कलवानी निवासी 6–सी–60 न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री ईश्वरलाल पुत्र लेहरू जाट निवासी रावला चौक, नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री घनश्याम पुत्र लेहरू जाट निवासी रावला चौक, नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री नन्दु बाई पत्नि लेहरू जाट निवासी रावला चौक, नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा **(नाम डिलीट)**
5. श्री गगनदास पुत्र हीरानन्द कलवानी निवासी बैकरीवाले डी.के. पान वाले के सामने वाली गली, जयसन्त हरीओम सतसंग वालो के पास, वैभवनगर, भीलवाडा।
6. श्रीमति नाथी बाई पुत्री प्रभूलाल पाराशर निवासी उपाध्याय डेयरी के पास, मैन कोटा रोड नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्री रतनलाल पुत्र प्रभूलाल पाराशर निवासी उपाध्याय डेयरी के पास, मैन कोटा रोड नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा।
8. श्री सुर्यप्रकाश पुत्र प्रभूलाल पाराशर निवासी उपाध्याय डेयरी के पास, मैन कोटा रोड नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा।
9. श्री आनन्द पुत्र गोपाल लाल पाराशर निवासी उपाध्याय डेयरी के पास, मैन कोटा रोड नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा।

10श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र गोपाललाल पाराशर निवासी उपाध्याय डेयरी के पास, मैन कोटा रोड नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा।

11श्रीमति लाडदेवी पत्नि गोपाललाल पाराशर निवासी उपाध्याय डेयरी के पास, मैन कोटा रोड नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा।

12राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी अमित कोठारी
अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 3 सत्यनारायण सोमानी
शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नई ईरास प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 251 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 3502 रकबा 0.1897 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध दिनांक 13.6.2023 एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की और से अधिवक्ता अप्रार्थीगण का दिनांक 24.8.2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया, अप्रार्थीगण संख्या 1, 6 से लगायत 12 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से आदिनांक को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

विपक्षी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता ने आपत्ति की है कि विपक्षीगण की ग्राम रास नई प0ह0 सुवाणा के आराजी संख्या 3510/2 रकबा 0.1265 है0 आ0नं0 3505/2 रकबा 0.3288 है0 पर अनाधिकार तौर पर कब्जा करना चाहता है प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध असत्य एवं आधारहीन तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जवाबदाता विपक्षीगण की आराजी को नक्शा ट्रेस में सही तरीके से तरमीम नही किया गया है जिसका प्रार्थी नाजायज फायदा उठाना चाहता है एवं प्रार्थी के नाम जो रकबा दर्ज है उससे अधिक रकबे पर कब्जा करना चाहता है विपक्षीगण संख्या 2 व 3 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षीगण प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी भूमि के पडोसी है प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 02 व 03 का जवाबदावा खारिज कराये जाने की प्रार्थना की है।

विपक्षी संख्या 02 व 03 ने अधिवक्ता ने बहस में बताया किविपक्षीगण की ग्राम रास नई प0ह0 सुवाणा के आराजी संख्या 3510/2 रकबा 0.1265 है0 आ0नं0 3505/2 रकबा 0.3288 है0 पर अनाधिकार तौर पर कब्जा करना चाहता है प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध असत्य एवं आधारहीन तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जवाबदाता विपक्षीगण की आराजी को नक्शा ट्रेस में सही तरीके से तरमीम नही किया गया है जिसका प्रार्थी नाजायज फायदा उठाना चाहता है एवं प्रार्थी के नाम जो रकबा दर्ज है उससे अधिक रकबे पर कब्जा करना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कराया जाय।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया जाकर पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा नई ईरास प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 251 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 3502 रकबा 0.1897 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.10.23

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा